न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 6/2020

अपीलांट :—

भवानीसिंह पुत्र अजीतसिंह जाति राजपूत निवासी— नाथल कुण्डी, बासना, तहसील— सोजत, जिला— पाली हाल— 2595/8, थर्ड मैन सैकण्ड कोस, एमसीसी ए ब्लॉक, दावानगरी,

बनाम

रेस्पोडेन्टान :—

01. ओमकंवर पुत्र प्रतापसिंह
02. गुडिया कंवर पुत्र प्रतापसिंह
03. कुलसिंह पुत्र नारायणसिंह
04. रतन कंवर पुत्री नारायणसिंह
05. हुकमसिंह पुत्र हरिसिंह
06. कंचन कंवर पुत्री हरिसिंह
07. संतोष कंवर पुत्री हरिसिंह
08. ज्ञान कंवर पुत्री हरिसिंह
09. शुभ कंवर पुत्र हरिसिंह समस्त जातियान— राजपूत, निवासीयान— नाथल कुण्डी बासना, तहसील— सोजत जिला— पाली।
10. ग्राम पंचायत बासना, जरिए सरपंच महोदयज, तहसील— सोजत
11. भूमिधारी तहसीलदार, सोजत

<u>अपील बनाराजगी आदेश ग्राम पंचायत बासना म्यूटेशन कमांक 157/20.02.2010 के विरूद्ध</u>

:—

1. श्री महेन्द्र नारायण ओझा अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
2. श्री देवेन्द्र कुमार व्यास अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03 उपस्थित।

<u>—: निर्णय :—</u>

दिनांक 12/10/22

अधिवक्ता मय अपीलांट ने उपस्थित होकर यह म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट बनाराजगी आदेश ग्राम पंचायत बासना म्यूटेशन कमांक 157/20.02.2010 के विरूद्ध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मौजा नाथल कुण्डी पटवार हल्का बासना तहसील सोजत में खाता संख्या 48 में कुल रकबा 3.39 हैक्टर कृषि भूमि आई हुई है। जिसमें हरिसिंह पुत्र गोरधनसिंह का 02/06 वां हिस्सा है। उपरोक्त हरिसिंह का देहान्त हो चुका है व उनके देहान्त के बाद उनका फौतेदगी म्यूटेशन भरा गया जिसमें उनके पुत्र प्रतापसिंह, नारायणसिंह, भवानीसिंह, हुकमसिंह, कंचन कंवर, संतोष कंवर, ज्ञान कंवर, शुभ कंवर के नाम म्यूटेशन भरा गया है। जबकि प्रतापसिंह मेघसिंह के गोद चले गए थे। इसलिए प्रतापसिंह के नाम फौतगी म्यूटेशन गलत दर्ज किया गया है व प्रतापसिंह के नाम फौतगी म्यूटेशन गलत दर्ज किया गया है। उनकी पुत्रियों श्रीमती ओमकंवर गुडिया कंवर का नाम दर्ज किया गया। जबकि प्रतापसिंह मृत्यु से पुर्व मेघसिंह के गोद चले गए थे जिसका इन्द्राजात प्रतापसिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्ज है व उसकी लिखापढी गोदनामा की हुई थी जो दिनांक 03.07.1982 को गांव में दर्ज की गई थी व उसके अलावा मतदाता सूची में प्रतापसिंह के पिताजी का नाम मेघसिंह दर्ज है। इस प्रकार गलत रूप से फौतगी म्यूटेशन हरिसिंह के देहान्त के बाद भरा गया जिसमें प्रतापसिंह जिनका देहान्त हो चुका था। उसमें उनकी पुत्रियों रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 के नाम गलत रूप से भर दिया गया था जबकि प्रतापसिंह गोद जा चुके थे ऐसी स्थिति में हरिसिंह के देहान्त के

उपखण्ड अधिकारी.

ग्रस्त म्यूटेशन भरा गया जिसमें प्रतापसिंह की दोनो पुत्रियों ओम कंवर व गुडिया कंवर गलत म्यूटेशन दर्ज कर दिया गया था जबकि प्रतापसिंह का देहान्त 2008 में हो चुका उससे पूर्व प्रतापसिंह गोद जा चुके थे व गोद जाने के बाद प्रतापसिंह का हरिसिंह की में कोई हक अधिकार नहीं था। जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 08.09.2020 को वापस आए जब पता चली क्योंकि अपीलांट अपने व्यापार के सिलसिले में बाहर रहता है। विवादग्रस्त म्यूटेशन जो भरा गया था उसमें प्रतापसिंह की पुत्रियों के नाम जो म्यूटेशन भरा गया था जो उनके हक तक निरस्त किए जाने योग्य है। क्योंकि प्रतापसिंह हरिसिंह की मौत के पूर्व ही मेघसिंह के गोद चले गए थे। ऐसी स्थिति में प्रतापसिंह को हरिसिंह का पुत्र मानते हुए जो ओम कंवर व गुडिया कंवर के नाम म्यूटेशन भरा गया है वो निरस्त फरमाया जाने योग्य है। क्योंकि प्रतापसिंह मेघसिंह के गोद जा चुके थे इसलिए हरिसिंह की सम्पति में उनको कोई अधिकार हासिल नहीं होता है।

अतः अधिवक्ता मय अपीलांट ने यह अपील पेश कर निवेदन किया है मौजा नाथल कुण्डी पटवार हल्का बासना तहसील सोजत में खाता संख्या 48 में कुल रकबा 3.39 हैक्टर कृषि भूमि के संबंध में पारित म्यूटेशन संख्या 157/20.02.2010 को खारिज किया जाकर विधि संवत् म्यूटेशन पारित किए जाने की ईस्तदुआ की है।

इस पर राजस्व अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिए नोटिसेस बास्ते जवाब तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10 बावजूद तामीली सूचना बार–बार आवाजें दिलवाए जाने पर भी अनुपस्थित रहने से दिनांक 30.05.2022 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार व्यास एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 06 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश दवे ने वकालतनामा पेश किया। शामिल मिसल किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 व 06 की ओर से जवाब पेश नहीं किए जाने से जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने का अवसर समाप्त किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 11 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमि मौजा नाथल कुण्डी में स्थित है। पैरा संख्या 02 स्वयं साबित करे। पैरा संख्या 03 से 05 कानूनी होना बताया है।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने व्यक्त किया कि दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने व्यक्त किया कि प्रतापसिंह मेघसिंह के गोद चले गए थे। इसलिए प्रतापसिंह के नाम फौतगी म्यूटेशन गलत दर्ज किया गया है। उनकी पुत्रियों श्रीमती ओमकंवर गुडिया कंवर का नाम दर्ज किया गया। जबकि प्रतापसिंह मृत्यु से पुर्व मेघसिंह के गोद चले गए थे जिसका इन्द्राजात प्रतापसिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्ज है व उसकी लिखापढी गोदनामा की हुई थी जो दिनांक 03.07.1982 को गांव में दर्ज की गई थी व उसके अलावा मतदाता सूची में प्रतापसिंह के पिताजी का नाम मेघसिंह दर्ज है। इसलिए मौजा नाथल कुण्डी पटवार हल्का बासना तहसील सोजत में खाता संख्या 48 में कुल रकबा 3.39 हैक्टर कृषि भूमि के संबंध में पारित म्यूटेशन संख्या 157/20.02.2010 को खारिज किया जाकर विधि संवत् म्यूटेशन पारित किए जाने की ईस्तदुआ की है। अधिवक्तागण रेस्पोडेन्टांन दौराने बहस उक्त अपील प्रार्थना पत्र कपोल कल्पित होने से खारिज किए जाने की ईस्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात नामांतरण संख्या 157 की प्रमाणित प्रति, अपीलांट का आधार कार्ड, प्रतापसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रतापसिंह के निर्वाचन सूची 1986 व 2008 की छायाप्रतियां आदि पेश की। जिनका गहनता से ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित देरीना कारण युक्त होने से देरीना अवधि को कण्डोन किया जाता है। सरपंच ग्राम पंचायत बासना द्वारा उक्त नामान्तरकरण बिना जॉच किये अपूर्ण तथ्यो की जानकारी से दर्ज किया जाना अपेक्षित होता है। लिहाजा मौजा नाथल कुण्डी पटवार हल्का बासना तहसील सोजत में मौजा नाथल कुण्डी पटवार हल्का बासना तहसील सोजत में खाता संख्या 48 में कुल रकबा 3.39 हैक्टर कृषि भूमि के संबंध में पारित म्यूटेशन संख्या 157/20.02.2010 को खारिज किया जाकर राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

—: <u>आदेश</u> :—

अतः अधिवक्ता मय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। मौजा नाथल कुण्डी पटवार हल्का बासना तहसील सोजत में खाता संख्या 48 में कुल रकबा 3.39 हैक्टर कृषि भूमि का पारित म्यूटेशन संख्या 157/20.02.2010 को खारिज किया जाता ह तथा तहसीलदार सोजत को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे नाथल कुण्डी पटवार हल्का बासना तहसील सोजत में खाता संख्या 48 में कुल रकबा 3.39 हैक्टर कृषि भूमि के विधिक वारिसानों की पुनः नए सिरे से जांच करके विधिसंवत् नामान्तरकरण पारित करे। तहसीलदार सोजत को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला पाली (राज.)

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 12/10/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)